

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

1. पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सामाजिक (संवेदीभाविक) संस्था है। इसकी स्थापना संसद द्वारा 'मानव अधिकार संस्करण अधिनियम, 1993' (2006 में संशोधित) द्वारा वर्ष 1993 में हुई।
- आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। मानवाधिकारों के अंतर्गत शामिल हैं किसी व्यक्ति का जीवन, व्यवहार, समाजों और राजनीति का अधिकार, जिसकी गांती संवर्धन द्वारा दी गई है और जो न्यायालयों द्वारा प्रत्येकीय है।
- यह आयोग मानवाधिकार के विभिन्न उल्लेखन अथवा ऐसे उल्लेखन को रोकथाम में लोक द्वाया लोक द्वाया लोकान्वय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए या उसे प्रस्तुत व्याचिका पर या न्यायालय के अदेश पर जीव को कार्रवाई करता है।

2. संगठन

- एनपीआरसी एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं।
- इसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं जबकि बाहर सदस्य नियुक्त होते हैं:

 - ❖ सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवक या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
 - ❖ विभिन्न उच्च न्यायालय का कोई सेवक या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
 - ❖ मानवाधिकार के सदर्भ में जान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो सम्मानित व्यक्ति।
 - ❖ इन पूर्णांकित सदस्यों के अंतरिक्ष 4 पर्देन सदस्य भी होते हैं— राष्ट्रीय अल्पसंखक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष।

3. नियुक्ति और सदस्य

- अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, इस समिति के 6 सदस्य हैं:

 - ❖ समिति अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री।
 - ❖ लोकसभा अध्यक्ष।
 - ❖ केंद्रीय गृह मंत्री।
 - ❖ राज्यपाल के उपसभापति।
 - ❖ संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता।



राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

4. कार्यकाल

- अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष का कार्यकाल अध्यक्ष 70 वर्ष की आयु (इसमें से जो पहले पूरी हो जाए) तक पर राज्य करते हैं।
- कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष या सदस्य कों द्वारा या उन्हें सरकार के अंतर्गत कहीं और नियुक्त नहीं होते।

5. आयोग की सीमा

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशी प्रदूषित का है और संबद्ध सरकार या ग्रामिकारी पर वापश्कारी नहीं है।
- इसके साथ मानवाधिकार उल्लंघन के लोकों पर दण्डनापक कार्रवाई अध्यक्षीयता को कोई मुआवजा (आरोपित या अन्य) देने की शक्ति नहीं है। निजी पक्षों और सशक्त बलों के सदर्भों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इसकी भूमिका, जारीनां और अधिकार क्षेत्र बेहद सीमित है।
- इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते।
- यह मानवाधिकार उल्लंघन के लोकों पर आमतौर पर जीव में समृद्धि नहीं है जिसको शिकायत घटना के एक वर्ष बाराने के बाद की गई होती है।
- प्रवर्तन से संबंधित समस्याओं के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर्मचारियों की कमी, अपर्याप्त वित्तीयोपयोग, शिकायतों की अत्यधिक संख्या और कार्यकालाप की अशमात्मा जैसी समस्या से भी जूँझ रहा है।

6. प्रमुख विवेद

- आयोग की भूमिका भले ही सिफारिशी और सलाहकारी प्रवृत्ति की हो संलग्न सरकार इसकी सिफारिशों को नज़रअंदर नहीं कर सकती।
- इसके अलावा अगर उसकी सिफारिशों को सोधे नहरंजाज न्यायालय या उच्च न्यायालय के पास जा सकता है।
- मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जीव के लिये इसके पास जीव अधिकारियों का अपाना केंद्र है।
- दिर्हासा में न्याय, करारागर सुधार, आल विवाह, बंधुआ मजदूरी, भूख से मौत आदि विषयों पर मानवाधिकार आयोग के सुझाव को सरकार ने स्वीकृत किया है और इनसे मानवाधिकार की उन्नति में विश्वासी है।

7. आगे की विश्व

- मानवाधिकार संवर्धित समस्याओं को केवल आयोग पर न छोड़कर जनन को संवर्धित करने की साथी ही मानवाधिकार अधिनियम में संशोधन करने की भी आवश्यकता है।
- इसके दायरे में पर्याप्त वित्तीय की आवश्यकता है ताकि यह पूरे देश में सभी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर विचार कर सके।
- वैधानिक संसीमिता के बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के प्रहरी के रूप में प्रभावी भूमिका निभाता रहा है और निम्न सकता है।